न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक   / 2018 पुनरीक्षण

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/0064

1. अमर सिंह पुत्र गंगा सिंह
2. गुलजार सिंह
3. मुख्तार सिंह
4. बलवीर सिंह
5. अजीत सिंह पुत्रगण अमर सिंह
6. मथुरा विधवा पत्नी सुन्दर सिंह
7. प्रताप सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
8. हरजिन्दर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
9. मंजीत सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
10. दीदार सिंह पुत्र सुन्दर सिंह
11. बलवीन्दर कौर पत्नी करम सिंह
12. महेन्द्र कौर पत्नी भजन सिंह
13. रणजीत सिंह पुत्र बन्ता सिंह
14. जोगेन्द्र सिंह पुत्र बन्ता सिंह
15. मन्दीप सिंह पुत्र मुख्तार सिंह
16. निर्मल कौर पत्नी जगतार सिंह

निवासीगण ग्राम–घरसौदी,

तहसील–चिनौर, जिला–ग्वालियर

विरूद्ध

1. म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर

   जिला–ग्वालियर

2. ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी डबरा

   द्वारा संचालक

श्री .... द्वारा आज दि. 3-1-2018 को प्रस्तुत। प्राथमिक तर्क हेतु दिनांक 9-1-18 नियत।

रीडर/बेंच क्लर्क, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

3-1-18

3-1-2018

03/1/18

शाखा प्रभारी (रा.म.) कार्यालय सहायक, ग्वालियर

अपर आयुक्त जिला–ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/अ–90/बी–3/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 15/11/2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–42 म.प्र. कृषक खातो की अधिकतम जोत सीमा अधिनियम 1960.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/गौ.ख/2018/0064

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	1/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 4/अ-90/बी-3/2016-17 में पारित आदेश दि. 15.11.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीलिंग एक्ट के अंतर्गत सक्षम अधिकारी/आयुक्त ग्वालियर संभाग के न्यायालय में अनावेदक क्र. 2 के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनावेदक क्र. 2 ने किये गये विक्रय पत्रों का उल्लेख अपनी विवरणीय में किया, जिसके आधार पर क्रेताओं को सूचना पत्र जारी किये गये एवं धारक कम्पनी तथा क्रेताओं को सुनने के पश्चात् विक्रय पत्रों को सीलिंग एक्ट के प्रावधानों को विफल करने के उद्देश्य से किया जाना मानते हुए विक्रय पत्रों को अमान्य किया गया। यह भी कहा गया कि आवेदकगण के हित में धारक/अनावेदक क्र. 2 द्वारा अंतरण किये गये थे। अत: धारक को पक्षकार बनाया जाकर ही अंतरणों की जांच की जाना संभव है। इस कारण भी अपर आयुक्त द्वारा नवीन प्रकरण में की जा रही कार्यवाही राजस्व मण्डल के निर्देशों के अनुरूप न होने से अपास्त किये जाने योग्य है। 4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये। 5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि सीलिंग एक्ट में प्रकरण मूलधारक ग्वालियर एग्रीकल्चर कम्पनी के विरूद्ध प्रारंभ हुआ है, जिसमें आवेदकगण की हैसियत अंतरणग्रहिता की है। सीलिंग एक्ट में प्रकरण धारक के विरूद्ध उसके entitlement पर decide होता है, जिसमें विभिन्न अंतरणों का परीक्षण होता है। निगरानीकर्ता की आपत्ति है कि इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी ने त्रुटिवश उसे धारक समझकर उसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। वास्तव में मण्डल से remand के बाद मूल प्रकरण में ही सुनवाई होनी चाहिए थी। निगरानीकर्ता की उक्त आपत्ति वैधानिक स्वरूप की होकर उचित है। अत: यह निगरानी आयुक्त को इन निर्देशों के साथ समाप्त की जाती है कि वह मूल रिकार्ड का अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करें तथा आवेदक की इस आपत्ति पर रिकार्ड के अनुसार स्पष्ट निर्णय देकर अग्रिम कार्यवाही करें। अध्यक्ष	